छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 6 फरवरी ,2016

क्रमांक 09/एल 8–9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र.—यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–झ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 का अनुसरण करते हुये, अधिसूचना क्रमांक 02/एल 8–9(पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र., दिनांक 20 जनवरी, 2016 द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–झ एवं 243–म द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य वित्त आयोग, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा एवं निम्नलिखित के संबंध में अनुशंसा देगा–

(क) निम्नलिखित को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में,–

(एक) राज्य द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो) के मध्य वितरण, जो संविधान के भाग 9 और 9क के अधीन उनमें विभाजित किये जायें, को तथा सभी स्तरों पर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं, जैसी भी स्थिति हो, के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को,

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी, और

(तीन) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को;

(ख) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक अध्युपायों और अनुशंसायें करने सहित निम्नलिखित के संबंध में–

(एक) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा संग्रहित कर एवं करेतर राजस्व व्यवस्था के युक्तियुक्तकरण, और संसाधन सृजित करने की नवीन संभावनाओं को चिन्हांकित करने, विशेषतः ऐसे निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर उपयोगकर्ता प्रभार उद्गृहित करने, ताकि संचालन एवं संधारण व्यय की पूर्ति हो सके;

(दो) स्थानीय शासनों के द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बाजार से ऋण लेने की संभावना, एवं इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था;

(तीन) स्थानीय शासनों की वित्तीय प्रबंधन की क्षमता का विकास;

(चार) स्थानीय शासनों के राजकोषीय निष्पादन के अनुश्रवण को सुधारने;

(पांच) राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने;

(छः) स्थानीय शासनों द्वारा व्यय में मितव्ययता और दक्षता हासिल करने;

(ग) स्थानीय शासनों के स्वामित्व एवं उन्हें स्थानांतरित आस्तियों के संधारण की लागत को राज्य, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के मध्य बांटने;

(घ) नगरीय स्थानीय निकायों के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक–निजी भागीदारी की संभावनाओं;

(ङ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, मध्यवर्ती/विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय पंचायतों को निधियों के न्यागमन हेतु व्यवस्था; और

(च) पंचायतों द्वारा बनाई आस्तियों को नगरपालिकाओं को अंतरित करने के लिए, क्षतिपूर्ति के उपयुक्त प्रावधान, जिसमें उनसे (उन आस्तियों से) संग्रहित राजस्व सम्मिलित है, की व्यवस्था।

2. आयोग, उसकी अनुशंसाएं करने में, अन्य विचारण सहित, निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा,–

(एक) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन पर होने वाली राजकोषीय मांगें;

(दो) स्थानीय निकायों के संबंध में चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं; और

(तीन) केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत स्थानीय निकायों को दी गई निधियां।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

06/02/2016
(ए. के. सिंह)
उप सचिव

क्रमांक 10/एल 8–9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इसकी अधिसूचना क्रमांक 09 दिनांक 06 फरवरी, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

06/02/2016
(ए. के. सिंह)
उप सचिव

प्रतिलिपिः—

पृष्ठ.क्र. 11 /एल 8—9(पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र. नया रायपुर, दिनांक 06 फरवरी, 2016

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. श्री चन्द्रशेखर साहू, अध्यक्ष, तृतीय राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़
6. श्री नरेश चंद्र गुप्ता, सदस्य, तृतीय राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग /लोक आयोग, रायपुर
8. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. प्रधान महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
10. मुख्य सचिव के उपसचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
11. सचिव वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर
12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
14. राज्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
16. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
17. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
19. समस्त कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती/जिला कोषालय, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
23. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, रायपुर
24. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.एन.नामदेव)
अवर सचिव